इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 जून 2012—ज्येष्ठ 17, शक 1934

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2012

क्र. एफ 2-4-2012-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के भीतर विद्युत् के पारेषण एवं वितरण हेतु अनुज्ञप्ति मंजूर किये जाने के लिये लगने वाले आवेदन शुल्क के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुज्ञप्ति मंजूर किये जाने के लिये आवेदन शुल्क नियम, 2012 है;

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा;

(3) ये नियम, राजपत्र में, इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है विद्युत् अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार गठित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग;

(ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा.

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अधिनियम में दिए गए हैं.

3. **अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु आवेदन करने के लिये शुल्क.**—(क) आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये धारा 14 के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ रुपये पाँच लाख का अप्रतिदेय शुल्क संलग्न होगा.

(ख) शुल्क मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/आर. टी. जी. एस. के माध्यम से देय होगा.

No. F. 2-4-2012-XIII.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 180 read with sub-section (1) of Section 15 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the State Government, hereby, makes the following Rules regarding Application Fees for grant of License for transmission and distribution of Electricity within the State, namely :—

RULES

1. **Short Title, Extent and Commencement.**—(1) These Rules may be called the Application Fees for Grant of License Rules, 2012.

(2) It Shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these Rules, unless the context otherwise requires.—

(1) (a) 'Act' means the Electricity Act, 2003;

(b) 'Commission' means Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commision constituted/functional as per provisions of Electricity Act, 2003.

(c) 'Section' means a Section of the Act.

(2) Expressions used and not defined in these Rules but defined in the Electricity Act, 2003 Shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Fees for making application for grant of a License.**—(1) Every application under Section 14 for grant of licence by the Commission, shall be accompained by a non refundable fee of Repees Five Lakhs only.

(2) The fee shall be remitted through Demand draft/RTGS in favour of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.